पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत

चंडीगढ़, 25 मार्च: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राज्य सरकार के खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को भेजना आवश्यक होता है, जो उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट – पंजाब सरकार (वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या 4), जिसमें पंजाब राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं, दिनांक 25 मार्च 2025 को राज्य विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सॉफ्टकॉपी (अंग्रेजी एवं पंजाबी संस्करण) प्रेस ब्रीफ की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

सीएजी रिपोर्ट 2024 अंग्रेजी संस्करण:
https://drive.google.com/file/d/12e7n6HTwfc4jdaYTR5oqZLWINnUrxIf0/view?usp=sharing

सीएजी रिपोर्ट 2024 पंजाबी संस्करण:

https://drive.google.com/file/d/14_3dXU529d3U87tKFt2nM2ccy4ee8fGz/view?usp=sharing

***

PIB Chandigarh: VC/ROOS